विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-05 का उत्तरालेख्य।

प्रश्न	उत्तर
5(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षक दिवस 5 सितम्बर को प्रदेश के शिक्षकों को सम्मानित करने के आयोजन प्रदेश सरकार व कैंद्र सरकार द्वारा किया जाता है?	जी हाँ।
(ख) क्या इस दिन शिक्षकों के उत्पीड़न व शोषण का कार्यवाही करने का कोई निर्देश अधिकारियों को दिया गया है?	जी नहीं।
(ग) यदि हाँ, तो क्या है?	तदैव।
(घ) क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ द्वारा दिनांक 05.09.2023 को संविलियन विद्यालय आरिफपुर नवादा विकास क्षेत्र जगत का आकस्मिक निरीक्षण किया गया?	जी हाँ।
(ङ) क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने पत्रांक बेसिक/10143-48/2023-24 दिनांक 05.09.2023 निरीक्षण आख्या द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वेतन अदेय करने का आदेश दिया गया?	जी हाँ।
(च) यदि हाँ, तो बिना उत्तर लिये उसी दिन अपने पत्र संख्या बेसिक/10180-88/2023-24 दिनांक 05.09.2023 को निलम्बित करने का कौन सा औचित्य है?	दिनांक 05.09.2023 को संविलियन विद्यालय आरिफपुर नवादा, विकास क्षेत्र-जगत के आकस्मिक निरीक्षण में श्री संजीव कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक के बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में अनुपस्थित दिवस का वेतन अदेय किया गया। निलम्बन आदेश के अनुसार विद्यालय में विगत 03 दिनों से एम0डी0एम0 का वितरण नहीं कराया गया था तथा रसोईयों द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जबकि माह दिसम्बर, 2023 तक का खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट विद्यालय को भेजी जा चुकी थी। विद्यालय में पंजीकृत 281 बालक एवं 296 बालिकाओं (हल षष्ठी का बालिकाओं का अवकाश) के सापेक्ष मात्र 59 बालक उपस्थित पाये गये, जो अति न्यून थे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, बदायूँ के अन्तर्गत जनपद बदायूँ के शिक्षक/ शिक्षिकाओं द्वारा दिनांक 04.09.2023

	को कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ के प्रांगण में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ की बिना पूर्व अनुमति के धरना प्रदर्शन किया गया, धरने के दौरान मंच पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ के साथ वाद-विवाद/दुर्व्यवहार के दृष्टिगत सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के विपरीत कार्य किये जाने के कारण श्री संजीव कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक, संविलियन विद्यालय आरिफपुर नवादा, विकास क्षेत्र-जगत को कार्यालय पत्रांकः बेसिक/10180-88/ 2023-24 दिनांक 05.09.2023 द्वारा नियमानुसार निलम्बित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या के अनुसार कार्यालय पत्रांकः बेसिक/10828-38/2023-24 दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से श्री संजीव कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक, संविलियन विद्यालय आरिफपुर नवादा, विकास क्षेत्र-जगत को तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ द्वारा निलम्बन तिथि से सवेतन बहाल किया गया है।

Signed by
Sandeep Kumar Singh
Date: 25-02-2025 19:24:59
(संदीप सिंह)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ की आख्यानुसार दिनांक 05.09.2023 को संवि0वि0 आरिफपुर नवादा, वि0क्षे0 जगत के आकस्मिक निरीक्षण में श्री संजीव कुमार शर्मा, प्र0अ0 के बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में अनुपस्थित दिवस का वेतन अदेय किया गया। निलम्बन आदेश के अनुसार विद्यालय में विगत 03 दिनों से एम0डी0एम0 का वितरण नहीं कराया गया था तथा रसोईयों द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जबकि माह दिसम्बर, 2023 तक का खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट विद्यालय को भेजी जा चुकी थी। विद्यालय में पंजीकृत 281 बालक एवं 296 बालिकाओं (हल षष्ठी का बालिकाओं का अवकाश) के सापेक्ष मात्र 59 बालक उपस्थित पाये गये, जो अति न्यून थे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा, बदायूँ के अन्तर्गत जनपद बदायूँ के शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा दिनांक 04.09.2023 को कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ के प्रांगण में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ की बिना पूर्व अनुमति के धरना प्रदर्शन किया गया, धरने के दौरान मंच पर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ के साथ वाद-विवाद/दुर्व्यवहार के दृष्टिगत सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के विपरीत कार्य किये जाने के कारण श्री संजीव कुमार शर्मा, प्र0अ0, संवि0वि0 आरिफपुर नवादा, वि0क्षे0-जगत को कार्यालय पत्रांकः बेसिक/10180-88/ 2023-24 दिनांक 05.09.2023 द्वारा नियमानुसार निलम्बित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या के अनुसार कार्यालय पत्रांकः बेसिक/10828-38/2023-24 दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से श्री संजीव कुमार शर्मा, प्र0अ0, संवि0वि0 आरिफपुर नवादा, वि0क्षे0 जगत को तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ द्वारा निलम्बन तिथि से सवेतन बहाल किया गया है।